

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़**  
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 98/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/141

1. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार श्रीविजयनगर

-प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन चैनपुरा तहसील श्रीविजयनगर

-अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

1. राजपैरोकार उपतहसीलदार जैतसर, प्रार्थी
2. एकपक्षीय

-:: निर्णय ::-

दिनांक :27.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि-

1. हस्तगत प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (प्रकरण सं. 29/2005) से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से अप्रार्थी के विरुद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 एएस के प.नं. 180/434 में 5.18 बीघा, 181/434 में 11.00 बीघा एवं 181/435 में 0.06 बीघा कुल 17.05 बीघा कमण्ड नाली भूमि सावंलाराम वल्द कुंभाराम कौम मेघवाल सा. चैनपुरा आराजी काश्तकार 1955 के पश्चात नाम दर्ज थी जो कि राजस्थान सरकार की कृषि भूमि थी। उक्त भूमि नामान्तरकरण सं. 53 दिनांक 04.11.1995 के द्वारा आराजीराज दर्ज हुई। उक्त भूमि में से 181/434 का 11.01 बीघा भूमि नामान्तरण सं. 77 दिनांक 02.10.1999 के द्वारा ओमप्रकाश पुत्र गणपतराम जाति जाट सा. चैनपुरा क्लेम अलाटी के नाम दर्ज हुआ जो राजस्थान सरकार की आराजीराज भूमि को राष्ट्रपति भारत सरकार निष्क्रांत विभाग की भूमि बनाकर जो नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्त करने हेतु रेफरेंस योग्य हैं। ओमप्रकाश पुत्र गणपतराम हाल 3 एलजीएम तहसील श्रीविजयनगर में आबाद है। भूमि पर मौका पर बलदेव सिंह, दमण सिंह पुत्र बक्शीश सिंह, गुरुदयाल सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह कौम जटसिख सा. 37 जीबी बी काबिज है। काबिज व्यक्तियों द्वारा हैसियत संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। चक 4 एएस का नामान्तरकरण सं. 77 दिनांक 02.10.1999 मुताबिक सनद आदेश तहसील श्री विजयनगर आदेशानुसार दर्ज हुआ है जो राजस्थान सरकार की सिवायचक भूमि का क्लेम अलाटी के नाम दर्ज हुआ जो नियम विरुद्ध होने के कारण प्रथम दृष्टया गलत दर्ज हुआ है। रिकार्ड एवं नामान्तरकरण की जांच एवं अवलोकन करने पर यह स्पष्ट मालूम होता है कि प्रथम तो नामान्तरकरण में किसी प्रकार का स्पष्ट आदेश नहीं होते हुए भी नामान्तरकरण दर्ज होकर प्रमाणित हुआ तथा रिकार्ड में दर्ज हुआ इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार की सिवायचक भूमि को निष्क्रांत विभाग की राष्ट्रपति भारत सरकार की कृषि भूमि का क्लेम आवंटी का नामान्तरण दर्ज होना नियम विरुद्ध है। उक्त रकबा का ना तो कोई आवंटन आदेश जारी हुआ ना ही सनद अप्रार्थी के पक्ष में जारी हुई है। चक 4 एएस का नामान्तरण सं. 77 दिनांक 02.10.1999 निरस्त करने हेतु रेफरेंस करने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया।
2. पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के पश्चात हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। नोटिस अप्रार्थी पर विधिवत तामील होने के बावजूद अप्रार्थी के उपस्थित नहीं होने की दशा में प्रार्थी की रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्थान सरकार की सिवाय चक भूमि को निष्क्रांत विभाग की राष्ट्रपति भारत सरकार की कृषि भूमि का क्लेम अलाटी का नामान्तरण नियमविरुद्ध दर्ज किया गया है जो निरस्त योग्य हैं। मा. राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया।



**जिला कलक्टर**  
**अनूपगढ़**

3. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि -

**Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board -** The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings;

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

4. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरकरण प्रति चक 4 एएस नामान्तरकरण सं. 53 दिनांक 04.11.1995 के अनुसार भूमि सावंला के नाम से हटाते हुए आराजीराज दर्ज की गयी हैं तथा चक 4 एएस नामान्तरकरण सं. 77 स्वीकृत दिनांक 02.10.1999 के कॉलम सं. 7 में भूमि आराजीराज दर्ज हैं जो कि कॉलम सं. 9 में अंकित प्रविष्टि अनुसार अप्रार्थी के नाम से क्लैम अलॉटी के रूप में दर्ज की गयी हैं। नामान्तरकरण के कॉलम सं. 14 व 16 अनुसार जरिए सनद/आदेश नामान्तरकरण दर्ज किया गया है परन्तु आदेश के संबंध में कोई विवरण अंकित नहीं हैं।
5. प्रार्थी की ओर से उपस्थित राजपैरोकार से नामान्तरकरण के संबंध में जिन अभिलेखों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है आवंटन आदेश/सनद की प्रति के संबंध में जानकारी ली गयी तो उन्होंने किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का कथन किया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आराजीराज दर्ज थी जो कि अप्रार्थी के नाम से नामान्तरकरण सं. 77 दिनांक 02.10.1999 के द्वारा क्लेम अलॉटी के रूप में दर्ज हुई हैं लेकिन उक्त भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार निष्क्रांत भूमि होने तथा अप्रार्थी को आवंटन होने संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं ना ही अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर कोई एतराज/आपत्ति अथवा लिखित कथन प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ही नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य हैं। इस हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देशित किया जाता है कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)  
जिला कलक्टर  
अनूपगढ़ I.A.S.  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
अनूपगढ़